कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य (बहराइच) में मानव- वन्यजीव संघर्ष

डॉ राज कुमार गुप्ता

असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, संत विनोबा पी जी कालेज, देवरिया

सारांश

मानव वन्यजीव संघर्ष को लोगों या जानवरों द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल कार्यवाहियों के परिणाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसकी विशेषता हमलों की प्रकृति और वन संसाधनों की निर्भरता का स्वरूप है। विवाद हमेशा वन संसाधनों की पहुंच से संबंधित नहीं होता बल्कि इसमें लोगों और जानवरों (या उनकी रक्षा करने वाले विभाग) द्वारा महसूस की जानें वाली सुरक्षा और जोखिम भी शामिल होते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के सबसे प्रमुख स्थल अक्सर वे होते हैं जिनमें ICUN की लाल सूची में शामिल प्रजातियां होती हैं। वन्यजीव संघर्षों की जटिलता का विश्लेषण आसपास के परस्पर विरोधी उद्देश्यों के माध्यम से किया जा सकता है। मौजूदा साहित्य में प्राथमिक उद्देश्यों में से एक लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए आवश्यक संरक्षण प्रयासों पर जोर देता है जिससे संरक्षण कानून का समर्थन होता है कृषि जैसे लोगों की आजीविका पर वन्यजीव संघर्षों के प्रभाव को उजागर किया गया है बुनियादी ढांचे और कृषि को वन्यजीवों द्वारा होने वाले नुकसान के कारण किसानों का कार्यभार बढ़ जाता है। पुरूषों को अक्सर आय में कमी की भरपाई के लिए रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और महिलाएं क्षतिग्रस्त फसलों को बचाने का शारीरिक रूप से कठिन कार्य करती हैं। संघर्षरत जानवरों के प्रति नैतिक और सामाजिक कर्तव्य पर जोर देनें वाली पशु कल्याण की अवधारणा पर अक्सर चर्चा की जाती है। हालांकि सभी मानव वन्यजीव संघर्ष जटिल होते हैं Zimmerman et al (2020) नें प्रभावित समुदायों की वन, वन्यजीव और संबंधित संस्थानों के प्रति धारणा पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के आधार पर मानव -वन्यजीव संघर्ष को तीन स्तरों में विभाजित किया है। पहले स्तर पर जीवन और संपत्ति की सुरक्षा संबंधित सरल विचार होते हैं मानव हाथी संघर्ष इसका उदाहरण है। दूसरे स्तर पर वे निहितार्थ हैं जो अनुपयुक्त नीतिगत उपायों के कारण संघर्ष के लम्बे समय तक अनसुलझे लक्षणों का परिणाम हैं। यदि संघर्ष तीसरे स्तर तक पहुंच जाता है तो यह शत्रुता और संदेह गंभीर हो जाते हैं।

मुख्य शब्द:- वन्यजीव, अभयारण्य, कारीडोर, लुप्तप्राय प्रजातियां, आजीविका,पशु कल्याण अवधारणा, मवेशी, जैवविविधता

प्रस्तावना-कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के आसपास बसे गांवों में वन्यजीव संघर्ष आम बात है।2017-2023 के बीच वन्यजीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की 20957 घटनाएं हुई जिसके कारण 1559 पालतू जानवर खासकर मवेशी मारे गए। सरकार के 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 8873 वन्यजीव हमले हुए जिनमें से 4193 जंगली हाथियों,1524 जंगली सुअरों,193 बाघों,244 तेंदुओं और 32 बाइसन द्वारा किए गए। पिछले 5 महीनों में बहराइच में

भेड़ियों के आतंक की वजह से 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले कुछ सालों में जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में 58 घटनाएं हुई जिसमें 6 लोगों की मौत और 52 घायल हुए। जनवरी 24 से अब तक 34 घटनाएं हुई हैं जिसमें 4 लोगों की मौत और 30 घायल हुए। इन घटनाओं में ज्यादातर हमले तेंदुओं ने किए हैं लेकिन बाघ,हाथी और मगरमच्छ के हमलों के मामले सामने आए हैं।

अध्ययन का उद्देश्य -कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में मानव वन्यजीव संघर्ष तेजी से बढ़ा है। जिसमें हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान, बाघों का गांवों में प्रवेश, जंगली सुअरों और नीलगायों द्वारा फसलों को नुकसान, तेंदुओं और भेड़ियों का अभयारण्य से सटे गांवों में आतंक का लगातार बढना साथ ही घड़ियाल संरक्षण पर मानव का प्रभाव, बाघों का कारीडोर बाधित होना एवं हाथियों का मार्ग अवरूद्ध होना जैसी प्रमुख समस्याएं अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य रही हैं।

अध्ययन क्षेत्र-उत्तर प्रदेश के तराई वन और घास के मैदानों में स्थित कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य(KWS) बहराइच जनपद की मिहिंनपुरवा तहसील में स्थित है। बहराइच को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य 400.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो 28°06'N से 28°40'N तथा 81°02' E तथा 81°19'E के बीच स्थित है। आरक्षित वनों के एक अन्य क्षेत्र के साथ इस मण्डल में कतर्नियाघाट अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 551वर्ग किमी है। यह क्षेत्र उत्तर में भारत नेपाल सीमा से घिरा हुआ है, जिससे पश्चिम में नेपाल के रायल बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से इसकी संपर्क स्थिति बनी रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई 1976 को इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। गंगा के मैदानी इलाकों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध गेरूआ, कौड़ियाला, घाघरा और सरयू जैसी नदियों से युक्त तराई भूभाग जैवविविधता से भरपूर है और वन्यजीवों के लिए अत्यंत अनुकूल है। यह अभयारण्य उष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वनों के लिए आवास प्रदान करता है साथ ही अभयारण्य की परिधि में स्थित लगभग सौ से अधिक गांव यहां बसे हुए हैं। कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य डिवीजन को 6 सेक्टरों मोतीपुर, ककरहा, मुर्तिहा, धर्मापुर, निशानगाड़ा और कतर्नियाघाट में विभाजित किया गया है। यहां मानव-तेंदुआ संघर्ष की घटनाएं आम हैं इसके बाद हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं आती हैं। चूंकि बफर जोन में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। इसलिए आर्थिक स्थिति और शिक्षा के स्तर के मामले में ये गांव एक दूसरे से काफी भिन्न है।

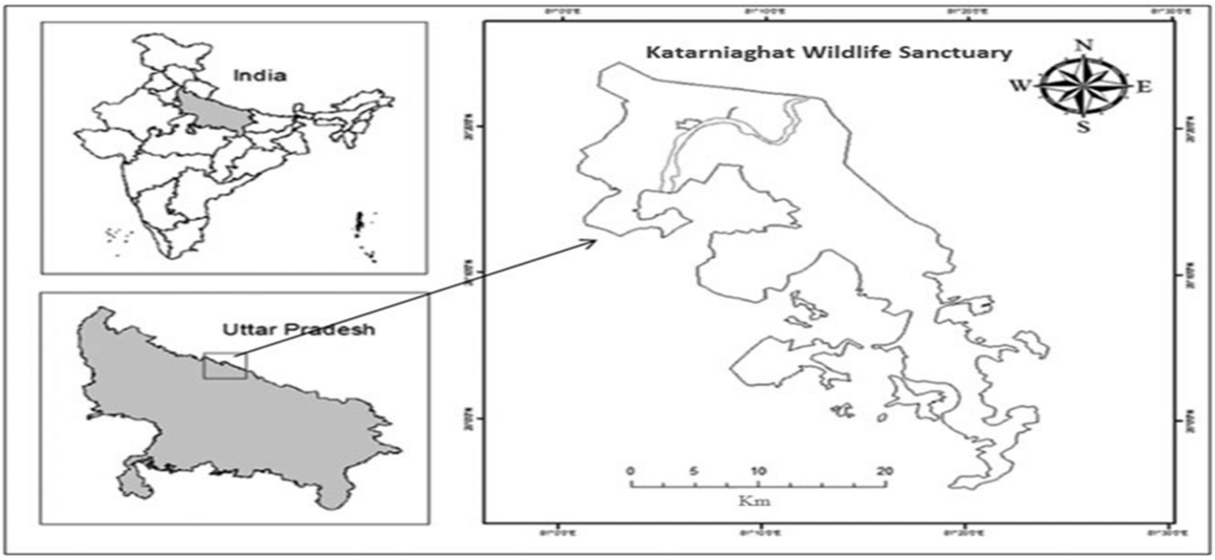

शोध प्राविधि:-इस अध्ययन में मिश्रित पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग होने के कारण परिणामों की वैधता बढ़ जाती है।दो पद्धतियों के संयोजन से निष्कर्ष विस्तृत और व्यापक बनाते हैं,जो इस अध्ययन की आवश्यकता थी क्योंकि इसमें सामाजिक आर्थिक कारकों का अध्ययन संस्थागत ढांचों के साथ-साथ स्वास्थ्य और कल्याण (एचडब्लूसी) पर केंद्रित किया गया था। अध्ययन के गुणात्मक भाग के लिए,अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची विकसित करके प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से माननीय हिंसा (एचडब्लूसी) के उदाहरणों का पता लगाया गया ।मानव वन्यजीव संघर्ष (एचडब्लूसी) को कम करने के लिए गहन समझ और रणनीतियों को प्राप्त करने हेतु ग्रामीणों प्रधानों, सचिवों और महिला स्वयं सहायता(N 8) के साथ फोकस समूह चर्चाएं भी आयोजित की गई। प्रत्येक फोकस समूह में प्रतिभागियों की संख्या 3 से 7 तक थी। इसके अतिरिक्त वन विभाग के प्रतिनिधियों का साक्षात्कार लिया गया । इसमें शोध प्रश्नों और उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नावली को और अनुकूलित करने में सहायता मिली जिससे इनकी विश्वसनीयता और वैधता में वृद्धि हुई। इसके अलावा अध्ययन के मात्रात्मक पहलू के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामाजिक आर्थिक स्थितियों तथा मानव स्वास्थ्य और कल्याण (एचडब्लूसी) के बारे में डेटा वन अधिकारियों,बीडिओ कार्यालय और सरकारी वेबसाइटों से एकत्र किया गया।

वर्तमान अध्ययन में विषयगत विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक शोधकर्ताओं के लिए कोडिंग मैनुअल (सल्डाना,2016) का उपयोग किया गया। आयोजित साक्षात्कारों के आधार पर प्रत्येक साक्षात्कार फील्ड नोट्स को शब्दशः लिखित रूप में दर्ज किया गया है। फील्ड नोट्स और साक्षात्कार रिकार्डिंग के लिखित प्रतिलेखन को वर्णनात्मक कोड में वर्गीकृत किया गया जिन्हें मिलाकर विश्लेषणात्मक कोड और विषय तैयार किए गए। मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए औसत अनुपात आदि जैसे वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया। इनका उपयोग नमूना आंकड़ों को सारांशित और व्यवस्थित करने के लिए किया गया ताकि वे स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण:-मानव द्वारा अत्यधिक लकड़ी कटान,पशुचारण और वन क्षेत्र में मानव बस्तियों को स्थापित कर लिया गया है जिसके कारण वन क्षेत्र में निरन्तर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। साथ ही कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य से होकर रेलवे एवं सड़क मार्ग निकलता है जिससे होनें वाले दिन रात के आवागमन से जंगली जीवों का परिवेश बाधित होता है। जिसके कारण उनमें आक्रामकता आती है और वह हिंसक हो जाते हैं। अभयारण्य में अवैध शिकार के कारण शाकाहारी जीवों की निरन्तर कमी हो रही है जिससे मांसाहारी जीवों को जंगल में पर्याप्त मात्रा में भोजन न उपलब्ध हो पानें के कारण वह जंगल से सटे गांवों में मानव और मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। तेजी से होते शहरीकरण, सड़कों और बस्तियों के विस्तार से जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास सीमित हो रहे हैं। जंगलों के किनारे गन्ने की खेती जानवरों को छिपनें और रहनें के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती है जिससे वे बस्तियों के करीब आ जाते हैं। जंगलों में प्राकृतिक भोजन की कमी के कारण जानवर अक्सर भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों का रूख करते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण और मवेशियों को चराने के लिए जंगलों में प्रवेश करने से जानवरों से आमना-सामना बढ़ता है। जंगली जानवरों के आने जाने के रास्तों (गलियारों) में रूकावट के कारण वे रिहायशी इलाकों में भटक जाते हैं।

वन्यजीव-मानव संघर्ष रोकने की रणनीति:-पर्यावरण के संरक्षण शोध और पुनर्स्थापना के लिए काम करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संगठन विश्व प्रकृति कोष (वर्ल्डवाइड फंड फार नेचर) नें सबसे पहले 2017 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ मित्रों को प्रशिक्षित किया था जो जंगली जानवरों के व्यवहार की समझ रखते हैं जिसके काफी सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं।इसी आधार पर विश्व प्रकृति कोष अब कतर्नियाघाट वन के आसपास रहने वाले चुनिंदा लोगों को बाघ मित्र के तौर पर प्रशिक्षित कर रहा है। इन बाघ मित्रों को वन विभाग और ग्रामीणों के बीच एक पुल की तरह काम करने और घटना के होनें पर ग्रामीणों को आक्रोशित न होने देने के तरीके भी सिखाए गए हैं। फिलहाल कतर्नियाघाट में 91 बाघ मित्र हैं जो 5-5 की टोलियों में रातभर प्रभावित इलाकों में गश्त करते हैं इनकी पहचान और सुरक्षा के लिए इन्हें पारदर्शी जैकेट, लम्बी दूरी तक रोशनी देने वाले टार्च, मजबूत डण्डे, बैग, टी-शर्ट, जूते आदि दिये जाते हैं। ये लोग स्वेच्छा से बिना किसी मानदेय के काम करते हैं। कतर्नियाघाट में बाघ मित्रों से बहुत सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि बाघ मित्र वन विभाग को घटनाओं की तुरंत जानकारी देते हैं इससे ग्रामीणों में आक्रोश नहीं फैलता। नेचर इन्वायरनमेंट एण्ड वाइल्ड लाइफ सोसायटी (NEWS) नें भी वन्यजीवों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए हैं। लेकिन उनका पूरा दारोमदार जंगली हाथियों से होने वाले नुकसान और हाथी-मानव संघर्ष को रोकने पर है। संस्था ने बाघ मित्रों की तर्ज पर ही **गज मित्रों** की नियुक्ति की और उन्हें हाथियों के व्यवहार को समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया। साथ ही NEWS नें गोबर और लाल मिर्च से एक **चिली डंक केक** तैयार किया है। इसके धुएं में मिर्च की तीखी गन्ध होती है जिससे हाथी दूर भाग जाते हैं। संस्था ने ग्रामीणों को इसको बनाने के लिए 10 मशीनें भी मुहैया कराई हैं। कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य की 5 रेंजों मोतीपुर, ककरहा, सुजौली, निशाना गाड़ा और कतर्नियाघाट में 23 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर 8 फिट ऊंची फेशिंग कराई जा रही है। इस बाउंड्री से वन्य जीवों पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। कूदकर जाना उनके स्वतन्त्र विचरण में अवरोध डालता है। इस कारण अक्सर वे जंगल से बाहर जाने से हिचकते हैं और घटनाएं भी कम होती हैं।

निष्कर्ष-वन्यजीव संघर्ष एक महत्वपूर्ण समस्या है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में हम मांशाहारी जानवरों द्वारा मनुष्यों और पशुधन पर हमले तथा अन्य जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने के मामले देखते हैं। इसका सीधा असर स्थानीय समुदायों पर पड़ता है। वन्यजीव संघर्ष (एचडब्लूसी) का गहन विश्लेषण दर्शाता है कि यह केवल वन्यजीव संरक्षण का मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी है । बुनियादी नागरिक सुविधाओं जैसे कि पक्के मकान, शौचालय और एलपीजी सिलेंडर अवसरों का अभाव स्थानीय समुदायों की जीविका के लिए जंगलों पर निर्भरता को बढ़ाता है जिससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार लोग जंगली जानवरों के हमलों के शिकार हो जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ सेवाओं की अपर्याप्त पहुंच एचडब्लूसी से जुड़े उच्च लेन-देन लागतों को और भी बढ़ा देती है। वन्यजीव -मानव संघर्ष के प्रभावों को कम करने के लिए समुदाय और वन विभाग दोनों द्वारा विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं। इसमें मुआवजा जैसे कदम भी शामिल हैं। वन विभाग मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि मुआवजे के प्रावधानों के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी, उच्च लेन-देन और अवसर लागत और नौकरशाही बाधाओं के कारण संघर्ष की घटनाओं की रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है। इसके अतिरिक्त अवैध शिकार, वन्यजीवों का अवैध व्यापार और पेड़ों की अवैध कटाई संरक्षण प्रयासों के गंभीर खतरे हैं। मानव और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। वन विभाग,गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज समूह जैसे विभिन्न संस्थान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ

1. Bista A., Chanchani P., Pandey, R. Hasan, D Gupta, M. & Pathak S. (2019, June 20) Status of common Leopard in Katarniyaghat wildlife division, WWF, Retrieved August 15 2022
2. Brown K. (2003) Integrating conservation and development: A case of institutional misfit Frontiers in Ecology and the Environment, 1(9), 479-487
3. Chatterjee M., Bosak K Pandey P. C., Singhai, Asharaf N. & Kaul R. (2017) Living with the wild: Mitigating Conflicent between human and big Cat species in Uttar Pradesh, WTI Retrieved August 15, 2022
4. Dickman A. J. (2010) Complexities of conflict: The importance of considering social factors for effectively resolving human-wildlife conflict, animal conservation 13, 458-466
5. Edake S., Sharma J., Lele Y. & Singh P. (2020) Meeting the challenges of human-wildlife conflict reconciliation in Dudhwa Tiger Reserve, TERI
6. Gaillard J. C., Van Nickerk D., Shoroma L. B., Cortzee C. & Amirapu T. (2019) Wildlife Hazards and disaster risk reduction, International Journal of Disaster Risk Reduction, 33, 55-63
7. Indiaspendhindi. com, 22 oct, 24